

पतिवारी की ओर से जवाबदावा भाज भी प्रस्तुत
नहीं हुआ, न्यायवित्त में भौका किया जाता है।
पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु जवाबदावा आरेना
दिनांक 16/1/18 को पेश होवे।

16/01/2018

पत्रावली पेश हुई। वादी स्वयं अथवा उसके
अधिकारक उपस्थित नहीं हैं। बार-बार आवाज
लगाते पर भी वादी स्वयं अथवा उसके अधिकारक
उपस्थित नहीं हैं।

उतः वादी का वाद अडमू हाजरी
अडमू पेंसवी खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैलल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
फर्रुखगढ़